



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी नवाब को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 01 माह 07 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2010 में अभियुक्त नवाब पुत्र सादी साई निवासी ग्राम बडका थाना बडौत बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 987/2010 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.12.2024 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नवाब को दोषी पाते हुए 01 माह 07 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी आबिद को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 माह 18 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में अभियुक्त आबिद पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 808/2012 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.12.2024 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आबिद को दोषी पाते हुए 03 माह 18 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी रिजवान को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 01 माह 22 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त रिजवान पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 328/2013 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.12.2024 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रिजवान को दोषी पाते हुए 01 माह 22 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 03.12.24

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं0 UP14EX7241 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 415/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस -2023 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू पुत्र मुन्ना निवासी ब्लाक वेलकम, थाना वेलकम, सीलमपुर, नोर्थ दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की हुई एक मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस नं0 UP14EX7241

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नरेश पाल सिंह थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 05 विनोद कुमार थाना खेकडा ।
- 3- है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकडा ।

- 4- है0का0 652 मोहित थाना खेकडा ।
5- है0का0 292 सिराज थाना खेकडा ।
6-का0 250 कोमल चौधरी थाना खेकडा ।



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चाँदीनगर दिनाँक 03.12.2024**

थाना चाँदीनगर पुलिस एवं एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 210/24 धारा 103(1) 109/61(2) बीएनएस में वांछित 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 29.10.2024 को थाना चाँदीनगर पर वादी श्री नवीन पुत्र सतवीर निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत व 2. एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा उसके भाई प्रवीन उर्फ बब्बू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदीनगर पर मु0अ0सं0 210/24 धारा 103(1)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अरुण पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया, जिसकी

गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस एवं एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 210/24 धारा 103(1)/109/61(2) बीएनएस में वांछित 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरुण पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल व मृतक प्रवीन उर्फ बब्बू पुत्र सतवीर निवासीगण ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत की कई वर्षों से आपसी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण ज्ञानेन्द्र के मन में कई बार प्रवीन उर्फ बब्बू से बदला लेने की टीस उठती थी, जिसको उसने कई बार हम लोगों के सामने बताया था। दिनांक 28.10.2024 को ज्ञानेन्द्र ने अपने साथी अरुण व अक्षय निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बड़ौत, लालू, सुभाष ढाका व मोनू त्यागी के साथ मिलकर मृतक प्रवीन उर्फ बब्बू की हत्या कर दी थी तथा उसके बाद हम लोग फरार हो गये।

बरामदगी का विवरण-

- कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 210/24 धारा 103(1) 109/61(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 228/24 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 001/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 4.मु0अ0सं0 126/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 5.मु0अ0सं0 416/17 धारा 3/10 यूपी गुण्डा थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 6.मु0अ0सं0 31/21 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 7.मु0अ0सं0 705/13 धारा 147/307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 8.मु0अ0सं0 133/14 धारा 302/120 बी भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत

9. मु0अ0सं0 304/17 धारा 323/336/504 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना प्रभारी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-STF टीम मेरठ यूनिट निरीक्षक श्री सुनील कुमार मय टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 03.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 757/24 धारा 87/64(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 757/24 धारा 87/64(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 30-11-2024 को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

महेश उर्फ आर्यन पुत्र बिरमा निवासी ग्राम पलसों थाना गोवर्धन जनपद मथुरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बड़ौत, बागपता
- 2-का० 493 विवेक सिरोही थाना बड़ौत, बागपता
- 3-का० 545 मनीष कुमार थाना बड़ौत, बागपता



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.12.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु०अ०सं० 320/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृता को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु०अ०सं० 320/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृता को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व०उ०नि० श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जिला बागपता
- 2-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-म०उ०नि० पूजा यादव थाना रमाला नजपद बागपत।
- 4- सर्विलांस टीम जनपद बागपत।